

2026:AHC:50525

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 735/2026

प्रदीप कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: घनश्याम यादव, राहुल सिंह यादव

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ निम्नलिखित प्रतिकार के लिए प्रस्तुत की गई है:-

"ए. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए, जो चकबंदी अधिकारी, तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा/प्रतिवादी संख्या 2 को यह समादेशित एवं निर्देशित करे कि वह चकबंदी अधिकारी, तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा के समक्ष लंबित उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत वाद संख्या 0064 वर्ष 2025 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या 20255413387003006 4/63) श्रीमती मिथलेश बनाम राज्य का निस्तारण करे।

बी. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए, जो चकबंदी अधिकारी, तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा/प्रतिवादी संख्या 2 को यह समादेशित एवं निर्देशित करे कि वह नामान्तरण की कार्यवाही का निस्तारण करे तथा ग्राम गंगेश्वरी, मजरा फूलपुर, परगना एवं तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा में स्थित गाटा संख्या 774 क्षेत्रफल 0.534 हेक्टेयर पर याची का नाम दर्ज करे।"

3. यह निवेदन किया गया है कि उपर्युक्त मामला एक पर्याप्त समयावधि से विचारार्थ लंबित है; तथापि, इसका यथाशीघ्र निस्तारण कराने हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।
4. यदि उपर्युक्त मामले के यथाशीघ्र निस्तारण हेतु कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।
5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। अतएव, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को चकबंदी अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 2), जिनके समक्ष उपर्युक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को इस निर्देश के साथ अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है कि यदि कोई अन्य विधिक बाधा न हो, तो वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से यथाशीघ्र, अधिमानतः बारह माह की समयावधि के भीतर, विधि के अनुसार इसका निस्तारण करें।
6. उपर्युक्त निर्देश के साथ, वर्तमान आवेदन निस्तारित किया जाता है।

12 मार्च, 2026

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)